प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 20.08.2024

थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के साथ एक अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार, विभिन्न माप के बोतल,केन व मोटरसाइकिल बरामद

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा द्वारा अवैध शराब तस्करी व बिक्री के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) व क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 19.08.2024 को इलिया पुलिस टीम द्वारा अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना इलिया पर मु0अ0सं0 82/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत होकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 19.08.2024 को थाना इलिया पुलिस टीम उ0 नि0 राजेश कुमार गिरी मय हमराह द्वारा कस्बा इलिया टैम्पू स्टैण्ड के पास सूत्रो से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल से माल्दह की तरफ से बिहार की तरफ अबैध शराब परिवहन की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कस्बा इलिया की तरफ से संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा करने पर पीछे मुड़कर भागने लगा, पुलिस टीम द्वारा तत्परता मोटरसाइकिल को अब्दुल्ला गैराज के पास समय 23.30 बजे हिरासत में लिया गया तथा मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। मोटरसाइकिल से एक प्लास्टिक के बोरे में 40 शीशी अग्रेजी शराब (ROYAL STAG) व 24 बीयर की केन कुल 27.00 लीटर शराब बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान ललित कुमार मौर्य पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शीवो थाना भभुआ जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 25 वर्ष के रुप में हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे सहयोगी का नाम अखिलेश यादव निवासी भभुआ, गवई मोहल्ला पूरब पोखरे, बिहार का निवासी है। हम दोनो लोग मिलकर उ0प्र0 से अंग्रेजी शराब खरीदकर बिहार में ले जाकर मंहगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते है।

नाम पता अभियुक्त

1. ललित कुमार मौर्य पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शीवो थाना भभुआ जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 25 वर्ष।

विवरण बरामदगी

1.एक प्लास्टिक के बोरे में 40 शीशी अग्रेजी शराब (ROYAL STAG) की बोतल प्रत्येक की मात्रा 375 ML

2. 24 अदद बीयर की केन प्रत्येक की मात्रा 500 ML कुल 27 लीटर अवैध शराब

3.एक अदद अपाचे मोटर साइकिल वाहन संख्या BR45N1719 जिसका चेचिस नम्बर- MD634AE84M2L11472, इंजन नम्बर- AE8LM2210985

4.एक मोबाइल

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम

1.प्रभारी निरीक्षक हरिश्चन्द्र सरोज मयहमराह थाना इलिया जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 राजेश कुमार गिरि थाना इलिया जनपद चन्दौली ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.08.2024
थाना चकिया जनपद चन्दौली

□ मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 के विरुद्ध फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला आरोपी को किया गया गिरफ्तार
□सोशल मीडिया टीम की तत्परता से थाना चकिया पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को किया गया गिरफ्तार
□सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों पर सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार रखी जा रही सतर्क दृष्टि

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद मे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की सतत निगरानी व धार्मिक उन्माद व आपत्तिजनक पोस्टों के माध्यम से धर्म समुदाय के बीच विद्वेष व अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सख्त निर्देशों के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) के निर्देशन व राजीव कुमार सिसोदिया क्षेत्राधिकारी चकिया के पर्यवेक्षण मे थानाप्रभारी अतुल कुमार थाना चकिया को सोशल उपलब्ध करायी गयी कि दिनांक 19.08.2024 को एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक (सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म) के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से सम्बंधित पोस्ट प्रसारित किया गया जिस पर थानाध्यक्ष चकिया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी के विरुद्ध मु0अ0स0-147/2024 धारा -197(1)d, 353(1), (बी एन एस) व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत करते हुए आरोपी चंद्रजीत यादव पुत्र यदुनन्दन यादव उर्फ जिद्दू चंदू यादव निवासी फिरोजपुर पचफेड़िया, चकिया, चंदौली गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त
चंद्रजीत यादव पुत्र यदुनन्दन यादव उर्फ जिद्दू चंदू यादव निवासी फिरोजपुर पचफेड़िया, चकिया, चंदौली

पंजीकृत अभियोग
मु.अ.स.- 147/2024 धारा -197(1)d, 353(1), (बी एन एस) व 67 आईटी एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम

1- थाना प्रभारी अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चंदौली मय हमराह

<u>प्रेस नोट दिनांक 20.08.2024</u>
<u>जनपद चन्दौली</u>

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दोषी 03 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को न्यायालय उठनें तक की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 27.09.2001 को धारा 323,504, के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.गुड्डू पुत्र पत्तू 2.समीला पुत्री पत्तू 3.हसीन पत्नी पत्तू निवासीगण सकलडीही थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 66/2001 धारा 323,504, थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक 1 श्री विपिन विहारी (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार आरक्षी श्याम इन्दर मौर्या की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 20.08.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.गुड्डू पुत्र पत्तू 2.समीला पुत्री पत्तू 3.हसीन पत्नी पत्तू निवासीगण सकलडीहा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को न्यायालय उठनें तक की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

प्रेस नोट दिनांक 20.08.2024
जनपद चन्दौली

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□"ऑपरेशन कन्विक्शन"के तहत गो.नि.अधि. के दोषी 01अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 04.03.1991 को धारा 3/5ए/8 गो.नि.अधि. के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.कैलाश नाथ यादव पुत्र स्व0 मुन्नी यादव निवासी पालपुर थाना लाईनबाजार जनपद जौनपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 80/1991 धारा 3/5ए/8 गो.नि.अधि. थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक 1 श्री विपिन विहारी (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 20.08.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.कैलाश नाथ यादव पुत्र स्व0 मुन्नी यादव निवासी पालपुर थाना लाईनबाजार जनपद जौनपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट-20.08.2024
जनपद चंदौली

□उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को ब्रिफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने दिए आवश्यक दिशा- निर्देश

पुलिस भर्ती परीक्षा-2023 की री-एक्जाम 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में सम्पन्न होगी। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल यादव,अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय सिंह व समस्त क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में नवीन सभागार में आगामी पुलिस परीक्षा को लेकर परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण को शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिशा निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक सदर ने बताया कि परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को दो पालियों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए 10 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं, जहां प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक और सायंकाल 03.00 बजे से 05.00 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दिन और परीक्षा के बाद अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंध, बसों की व्यवस्था, साफ-सफाई और निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित न रहे और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।
उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। इसके बावजूद, कई अभ्यर्थी रेल मार्ग या निजी साधनों से भी यात्रा करेंगे, जिससे रोडवेज बस स्टाप, रेलवे स्टेशन और सड़क मार्गों पर भारी भीड़-भाड़ होने की संभावना है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की आवास व्यवस्था, भोजन और पेय की व्यवस्था के लिए परीक्षा केन्द्रों के आस-पास, होटलों, धर्मशालाओं, रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉपों, चौराहों, मंदिरों, पार्कों और मैदानों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। जिसके लिए समस्त थानाप्रभारी को निर्देशित करते हुए ड्यूटी लगाई गई है।